

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2014-15 के लिए सत्यापन

दायर याचिका

दिसम्बर 2016

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

- वर्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 (विव 15 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित
- इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रु. में है।
- इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

संक्षेपणों की सूची

आवेदन	विव 2014-15 के लिए सत्यापन याचिका
जयपुरडिस्कॉम, जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
सेकलाउयो	सेवा कनेक्शन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान
सीपीपी	केप्टी पॉवर प्लांट
कउ	कटे हुए उपभोक्ता
घसे	घरेलू सेवा
अउआ	अतिरिक्त उच्च आतति
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विव	वित्तीय वर्ष
विव 16	वित्तीय वर्ष 2014-15
सस्थाप	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
उआ	उच्च आतति
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाघ	किलोवाॅट घण्टा या इकाई
निआ	निम्न आतति
मऔश	मध्यम औद्योगिक शक्ति
मि.यू	मिलियन यूनिट
अघसे	अघरेलू सेवा
नि.स्था.परि.	निवल स्थाई परिसम्पत्तियां
भानाविनिलि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
राजविनि	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

उक्षेभाप्रेके	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
राताविनि	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम
भाग्रिविनिलि	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड
साजदा	सार्वजनिक जलदाय
राविविआ /आयोग	राजस्थान राज्य विनियामक आयोग
राविप्रनिलि	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनिलि	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रू.	भारतीय रूपये
राराविम /म.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
लऔश	लघु औद्योगिक शक्ति
राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
गै-अवि	गैर- अनुसूचित विनिमय
याचिकाकर्ता / यूटिलीटि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	विव 2014-15 के लिए ट्रयूअप	
	प्रस्तावना	
	विव 2014-15 के लिए ट्रयूअप	
	ऊर्जा विक्रय	
	वितरण हानियां	
	ऊर्जा संतुलन	
	विव 2014-15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता	
	विद्युत क्रय लागत	
	परिचालन एवं संधारण व्यय	
	कर्मचारी व्यय	
	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	
	बीमा	
	मरम्मत एवं संधारण व्यय	
	व्ययों का पूंजीकरण	
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	
	ह्रास	
	अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं की दी गयी छूट तथा पूर्वावधि	
	विव 2014-15 के लिए सराआ का सारांश	
	राजस्व	
	राजस्व का सारांश	
	गैर-टैरिफ आय	
	अन्य आय	
	विव 2014-15 के लिए राजस्व घाटा	
	विव 2014-15 के लिए विचलन विश्लेषण	
अ 2:	प्रार्थना	

सारणियों की सूची

सारणी-1	विव 2014-15 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रु.)	
सारणी-2	विव 2014-15 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना	
सारणी-3	वितरण हानियां (प्रतिशत)	
सारणी-4	विव 2014-15 के ऊर्जा संतुलन	
सारणी-5	विव 2014-15 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रु.)	
सारणी-6	विव 2014-15 के लिए कर्मचारी, म.एवं.सं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रु.)	
सारणी-7	कर्मचारी व्यय (करोड़ रु.)	
सारणी-8	प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रु.)	
सारणी-9	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय (करोड़ रु.)	
सारणी-10	बीमा व्यय	
सारणी-11	म.एवं.सं. व्यय (करोड़ रु.)	
सारणी-12	मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रु.)	
सारणी-13	ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रु.)	
सारणी-14	विव 2014-15 के लिए ह्रास (करोड़ रु.)	
सारणी-15	विव 2014-15 के दौरान अन्य डेबिट तथा पूर्वावधि व्यय (करोड़ रु.)	
सारणी-16	विव 2014-15 के लिए वाराआ (करोड़ रु.)	
सारणी-17	गैर- टैरिफ आय (करोड़ रु.)	
सारणी-18	विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व	
सारणी-19	विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा संशोधित वास्तविक राजस्वघाटा (करोड़ रु.)	
सारणी-20	विचलन विश्लेषण (करोड़ रु.)	

अ 1. विव 2014-15 के लिए ट्र्यू-अप

प्रस्तावना

- 1.1 याचिकाकर्ता 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (इसके आगे 'याचिकाकर्ता' के रूप में निर्दिष्ट) राजस्थान सरकार (रास) द्वारा राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अन्तरण योजना 2000 के अन्तर्गत यथाधिसूचित क्षेत्रों में विद्युत के व्हीलिंग तथा फुटकर आपूर्ति के लिए एक वितरण याचिकाकर्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (याचिकाकर्ता) के रूप में नियुक्त है। तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से याचिकाकर्ता जविविनिलि जयपुर नगर वृत्त, जयपुर जिला वृत्त, अलवर, भरतपुर, धोलपुर, दौसा, करौली, झालावाड, बारा, कोटा, बुंदी, सवाईमाधोपुर एवम् टोंक के क्षेत्र के रूप में कार्यरत है।
- 1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (इसके आगे 'आयोग' के रूप में निर्दिष्ट), विद्युत विनियामक आयोग (विविआ) अधिनियम, 1998, जिसका विद्युत अधिनियम (विअ) 2003 द्वारा अधिक्रमण कर दिया गया था, के अन्तर्गत गठित एक स्वतन्त्र सांविधिक निकाय है। आयोग का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत हुआ है। आयोग में, राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विनिर्धारण सहित विद्युत क्षेत्र को नियन्त्रित करने के प्राधिकार निहित हैं।
- 1.3 माननीय आयोग ने 24 फरवरी 2014 को "टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें विनियम, 2014" जारी किये थे। ये विनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए विस्तारित हुये तथा विनियमों के अन्तर्गत आवृत्त सभी प्रकरणों में टैरिफ के विनिर्धारण हेतु विव 2014-15 से विव 2018-19 तक प्रयोज्य रहे। इसलिए जोविविनिलि माननीय आयोग से निवेदन करता है कि उक्त राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आयोग विव 2014-15 की ट्र्यू-अप की याचिका पर विचार किये जाने के लिए सशक्त है।
- 1.4 बाद में माननीय आयोग ने राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत विव 2014-15 के लिए 20 फरवरी 2015 को टैरिफ आदेश अधिसूचित किया।
- 1.5 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 8 (3) के अनुसार ट्र्यू-अप में, आवेदक का पिछले वर्ष के अंकेक्षित निष्पादन के साथ माननीय आयोग के अवलोकन व विवेकी

जांच हेतु तुलना समाहित होगी। याचिकाकर्ता विव 2014-15 के लिए ट्र्यू-अप प्रस्तुत करना चाहेगा।

- 1.6 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्राक्कलित तथा तदनु रूप आयोग द्वारा अनुज्ञात की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता, आदेश जारी करते समय विव 2014-15 के प्राक्कलित विक्रयों तथा प्राक्कलित व्ययों पर आधारित थी। तथापि, क्योंकि अंकेक्षित वास्तविक आंकड़े डिस्कॉम के पास उपलब्ध हैं, याचिकाकर्ता विव 2014-15 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार ट्र्यूअप की याचिका माननीय आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा है।
- 1.7 माननीय आयोग के विचारार्थ विव 2014-15 के अंकेक्षित लेखों की एक प्रतिलिपि भी इस याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, इस ट्र्यूअप याचिका में याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 के दौरान याचिकाकर्ता ने उपगत वास्तविक लागत दर्शाने के लिए अंकेक्षित लेखों को स्रोत के रूप में लिया है।

विव 2014-15 के लिए ट्र्यूइंग-अप

- 1.8 माननीय आयोग ने दिनांक 20 फरवरी 2015 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता की विव 2014-15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता, 1156 करोड़ रु. के सदृश राजस्व अन्तर के साथ 13642 करोड़ रु. प्राक्कलित की। याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार नीचे सारणी में दर्शित अन्तर प्रस्तुत किया है। वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवयवों को याचिका के बाद वाले भाग में विस्तृत किया गया है।

सारणी 1: विव 2014-15 के लिए वाराआ का सारांश (करोड़ रु.)

विशिष्टियां	प्राक्कलित (अ)	अनुमोदित (ब)	वास्तविक (स)	विचलन द=ब-स
1. राजस्व				
विद्युत का विक्रय	13,014.21	11308	9423.00	1885.00
ट्रेडिंग के माध्यम से विद्युत का विक्रय	-	52	55.20	(3.20)
कुल राजस्व (अ)	13014.21	11360	9478.20	1881.80
2. व्यय				
विद्युत क्रय लागत	10247.00	9632	9613.69	18.31

प्रसारण व्यय	1340.57	1037	1142.77	(105.77)
परिचालन एवं संधारण व्यय (बीमा एवं उपभोक्ता शिक्षा व्यय के साथ)	805.90	804	581.41	222.16
सेवांत लाभ	418.25	418	799.76	(381.76)
ब्याज तथ वित्त प्रभार (केयरिंग राशि के साथ)	2501.95	1814	1220.46	593.44
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	172.02	137	1550.44	(1413.68)
हास	443.97	340	616.86	(276.86)
अन्य व्यय (पूर्वावधि व्यय)	-	-	163.58	(163.58)
कुल व्यय (सराआ)	15930.66	14180	15688.96	(1508.73)
घटायें – राविपनिलि व राविउनिलि से पिछले वर्षों के आधार पर वसूली जाने वाले लागत	-	265	268.40	(3.40)
घटायें – गैर टैरिफ आय/अन्य आय	259.88	260	479.68	(219.68)
घटायें – व्हीलिंग से आय एवं क्रास सब्सिडी सरचार्ज	12.84	13	34.32	(21.32)
समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) (ब)	15657.94	13642	14906.55	(1264.32)
गेप/(अधिशेष) (ब-अ) (स)	2643.73	2282	5428.35	(3146.12)
राजस्व सहायिकी/वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				
विश्व बैंक ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी	4.30	4	4.35	(0.35)
विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से संसहायिकी	480	480	500.55	(20.55)
राज्य सरकार से नकद सहायता	169	169	176.40	(7.40)
स्टाम्प शुल्क के प्रति सहायिकी			5.92	
प्रशमन प्रभार के प्रति सहायिकी	-	-	6.57	(6.57)
उपयोग – द	663.00	1125	693.79	431.21
निवल राजस्व अंतर (स-द)	3405.00	1156	4734.57	(3578.34)

1.09 उपरोक्त सारणी में यथादर्शित विव 2014-15 के लिए वास्तविक राजस्व आवश्यकता, अनुमोदित 13642 करोड़ रु. के प्रति 14905.99 करोड़ रु. रही है।

1.10 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वाराआ में विचलन के विस्तृत कारण निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणों में दिये गये हैं, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विव 2014-15 में विद्युत क्रय लागत माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 3.99 रु. प्रति इकाई

(प्रसारण लागत सहित) के प्रति 4.00 रु. प्रति इकाई (प्रसारण लागत सहित) उपगत की गई है। विद्युत क्रय दर में ऐसा महत्वपूर्ण अन्तर एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और पूर्व अवधि भुगतान के कारण है।

1.11 इसके अलावा विद्युत का अधिकांश हिस्सा राविउनि से 3.79 रु./इकाई पर आहृत किया जाता है, जो माननीय आयोग के आदेश 20 फरवरी 2015 द्वारा अनुमोदित 3.81 रु./इकाई से कम है। यह विद्युत याचिकाकर्ता द्वारा अधिप्राप्त कुल विद्युत के ~37 प्रतिशत है। इसी प्रकार, भानाविनिलि तथा राताविनि से विद्युत का क्रय जविविनिलि के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा है, क्योंकि इनकी प्रति इकाई दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित से उच्चतर है। उपरोक्त आंकड़ों व तथ्यों के मद्देनजर जविविनिलि, माननीय आयोग से अंकेक्षित लेखों पर आधारित वाराआ पर एक विवेकपूर्ण विचार करने का निवेदन करता है।

1.12 उपरोक्त के अलावा राजस्व अंतर में बढ़ोतरी संचित ऋण पर ब्याज व वित्त लागत में बढ़ोतरी तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज के कारण है। व्यवस्था बनाए रखनें एवं आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता ने लोड में कटौती नहीं की है। पर्याप्त बिजली खरीदने के लिए निरंतर धन की पूर्ति के लिए इस तरह की बिजली खरीद के लिए लघु अवधि राशि उधार लेना है। याचिकाकर्ता के कुल ऋण का 80 प्रतिशत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अल्प वृद्धि ऋण के माध्यम से उठाया है। जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा अधिक ब्याज पर भुगतान किया गया। कुल लागत में ब्याज लागत का अनुपात देशभर की युटिलिटी की तुलना में याचिकाकर्ता के मामले में बहुत अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व में गिरावट व विद्युत क्रय लागत में वृद्धि का भी राजस्व अंतर की बढ़ोतरी में योगदान रहा है।

ऊर्जा विक्रय

1.13 याचिकाकर्ता निवेदन करना चाहेगा कि विक्रय, उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न, मौसम की स्थितियों में परिवर्तन तथा भूमि की विधियों पर निर्भर करता है। उपरोक्त घटक याचिकाकर्ता के नियन्त्रण से परे हैं, जिसके कारण उपभोग तथा इसके उपभोक्ताओं को विक्रय पर याचिकाकर्ता का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

1.14 नीचे दी गई सारणी विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक विक्रय तथा

विद्युत के विक्रय से राजस्व की तुलना दर्शाती है :

सारणी 2: विव 2014-15 के लिए वास्तविक तथा अनुमोदित विक्रय की तुलना

उपभोक्ता श्रेणी	राजस्व (करोड़ रु.)		विक्रय (एमयू)		औसत विपत्रण दर (रु./ इकाई)	
	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	वास्तविक
घरेलू सेवा	2514	2110.93	4687	4067.65	5.36	5.19
अघरेलू सेवा	1478	1291.31	2221	1804.55	6.66	7.16
सार्वजनिक पथ प्रकाश	105	97.78	185	168.38	5.68	5.81
कृषि मीटरित आपूर्ति	2930	1880.77	6902	4714.57	4.24	3.99
कृषि प्लेट दर आपूर्ति	163	225.53	444	529.71	3.67	4.26
लघु औद्योगिक सेवा	242	173.96	431	334.77	5.62	5.20
मध्यम औद्योगिक सेवा	476	1041.95	753	769.50	6.31	13.54
वृहद औद्योगिक सेवा	2744	2728.19	4391	4293.87	6.25	6.35
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग - लघु	110	111.41	211	218.49	5.23	5.10
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग - मध्यम	20	20.54	34	36.96	5.78	5.56
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग - वृहद	134	133.84	223	218.22	6.01	6.13
मिश्रित भार आपूर्ति	117	102.62	197	191.35	5.91	5.36
विद्युत कर्षण	276	86.64	468	145.84	5.89	5.94
विद्युत विक्रय से कुल राजस्व	11308	10005.48	21145	17493.84	5.35	5.72

1.15 वास्तविक राजस्व में स्थाई प्रभार तथा विद्युत प्रभार शामिल हैं।

1.16 यहां यह उल्लेखनीय होगा कि माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर भी वास्तविक विपत्रण दर से भिन्न है। अनुमोदन में माननीय आयोग द्वारा ध्यान में रखी गयी औसत विपत्रण दर अधिकांश श्रेणियों में वास्तविक विपत्रण दर से उच्चतर है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि माननीय आयोग द्वारा राजस्व का अनुमान श्रेणीवार एबीआर स्लेब के आधार पर आंकलन किया है, जोकि वास्तविक में

से काफी अलग हो सकता है। याचिकाकर्ता ने श्रेणीवार बिक्री और राजस्व का वास्तविक विवरण लिया है। इसके अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता सालभर एक ही स्लेब में नहीं रहता है। इसके अलावा अनुमानों के लिए माननीय आयोग ने वर्ष के अंत में उपभोक्ताओं की संख्या एवं संबद्ध भार का प्रयोग किया है, हालांकि वर्ष के दौरान दोनों में परिवर्तन होता है।

- 1.17 विक्रय तथा राजस्व में परिवर्तन, याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यह निवेदन है कि विक्रय को अंकेक्षित लेखों के अनुसार माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

वितरण हानियां

- 1.18 आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में वितरण हानियां 16.09 प्रतिशत अनुमोदित की है। याचिकाकर्ता ने वितरण हानि का स्तर विव 2014-15 के लिए 30.46 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

सारणी 3: वितरण हानियां (प्रतिशत)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन
वितरण हानियां	16.09%	30.46%	-14.37%

- 1.19 हालांकि, परिकल्पित परिचालन क्षमता को प्राप्त करने और सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में उच्च एटीएंडसी घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सीमित करना, कार्य की निगरानी और प्रबंधन प्रणाली, सौ प्रतिशत फीडर और डीटी मीटरिंग, उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं के एएमआर मीटरिंग, ऊर्जा ऑडिट और फीडर स्तर पर लेखांकन, फीडर पृथक्कीकरण इत्यादि हैं। हानि घटाने के लिए खंड/वृत्त/जोनल स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को हानि में कमी के लिए जिम्मेवार बनाया गया है। इसके साथ ही नाम और शर्म अभियान और आक्रमक सतर्कता जांच अभियान चलाकर चोरी को तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आयोग द्वारा निर्धारित हानि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूंजी निवेश योजनाएं भी चल रही हैं।
- 1.20 डिस्कॉम हानि में कमी के लिए वचनबद्ध है और इसलिए उपर वर्णित हर गतिविधि के

लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन गतिविधियों को उच्चतम स्तर पर पहचाना जाता है और ये डिस्कॉम, केन्द्रीय मंत्रालय और राजस्थान सरकार के मध्य उदय योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए लेंडमार्क त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का भाग है।

- 1.21 याचिकाकर्ता के वृहत वितरण क्षेत्र, छितराए वितरण लोड केन्द्र तथा अत्यधिक संख्या में कृषि कनेक्शन देखते हुए इन उठाए गए कदमों का लाभ मिलने में कुछ समय की आवश्यकता है। आयोग द्वारा तय किए गए हानि के प्रक्षेपवक्र के आधार पर खर्चों को अनुमत नहीं करना याचिकाकर्ता के लिए विव 2018-19 तक वितीय एवं परिचालन में बदलाव लाने के प्रयासों में झटके का कार्य करेगा।
- 1.22 इसलिए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से यह प्रार्थना करती है मौजूदा हानि प्रक्षेपवक्र में संशोधन करे तथा इसे उदय योजना के तहत प्रक्षेपवक्र के अनुरूप तय करे। इस बीच याचिकाकर्ता माननीय आयोग से यह भी प्रार्थना करती है कि कृपया विव 2014-15 का सत्यापन अनुमोदित करते समय विव 2014-15 के वास्तविक वितरण हानि पर विचार करें।

ऊर्जा संतुलन

- 1.23 आयोग ने विव 2014-15 के लिए भिन्न-भिन्न स्रोतों से कुल ऊर्जा आवश्यकता 26605 मिलियन इकाइयां प्राक्कलित की हैं। याचिकाकर्ता द्वारा विव 2014-15 के लिए क्रय की गयी वास्तविक ऊर्जा 26879.18 मि. यूनिट थी। नीचे सारणी याचिकाकर्ता के लिए विव 2014-15 के दौरान अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय आवश्यकता की विस्तृतियां दर्शाती है।

सारणी 4: विव 2014-15 के लिए ऊर्जा संतुलन

विशिष्टियां	विव 2014-15 के लिए अनुमोदित	विव 2014-15 के लिए वास्तविक
ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)	21145	17493.84
वितरण हानि (प्रतिशत)	16.09%	30.46%
वितरण हानि (मि.यू.)	4055	7662.41
वितरण परिधि पर आवश्यकता (मि.यू.)	25200	25156.25

राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	5.28%	5.77%
राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (मि.यू.)	1405	1540.38
प्रसारण कं. परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	26605	26696.63

विव 2014-15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता

विद्युत क्रय लागत

1.24 दिनांक 20.02.2015 के आदेश में माननीय आयोग ने विव 2014-15 के लिए विद्युत क्रय लागत 10669 करोड़ रु. प्रक्षेपित की थी। तथापि, अंकेक्षित लेखों के आधार पर वास्तविक विद्युत क्रय लागत 10756.46 करोड़ रु. है।

1.25 नीचे सारणी, याचिकाकर्ता की अनुमोदित तथा वास्तविक विद्युत क्रय लागत का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाती है :

सारणी 5: विव 2014-15 के लिए विद्युत क्रय लागत की विस्तृतियां (करोड़ रु. में)

स्रोत	अनुमोदित			वास्तविक		
	प्रेषित ऊर्जा	कुल लागत		प्रेषित ऊर्जा	कुल लागत	
	एमयू	करोड़ रु.	(रु./किवाघ)	एमयू	करोड़ रु.	(रु./किवाघ)
राताविके	2335	721	3.09	2234.42	706.77	3.16
राजविके	673	240	3.57	708.54	234.68	3.31
भानाविनिलि	1381	394	2.85	1190.88	349.86	2.94
राविउनि	10207	3897	3.82	9910.51	3754.67	3.79
हिस्सेदारी परियोजनायें	1430	129	0.90	1125.82	48.06	0.43
अन्य (टेहरी +कोटेश्वर ताला +आरएफएफ)	193	74	3.83	158.23	77.06	4.87
लिग्नाइट आधारित संयन्त्र (गिरल I + गिरल II + राजवेस्ट + बगसिंगसर)	2943	1212	4.12	3266.01	1239.33	3.79
अडानी पावर राजस्थान लि.+सासन +एमपीपीएमसीएल + एनवीवीएन समूहित झज्जर +मुन्दरा + एसजेवीएनएल	5732	2145	3.74	5837.33	1937.01	3.32

अक्षय तथा सीपीपी	1842	820	4.45	1593.61	776.69	4.87
द्विपक्षीय	-	-	-	440.65	174.25	3.95
बैंकिंग	-	-	-	(144.49)	53.46	
ट्रेडिंग	-	-	-	421.28	178.67	4.24
अन्तर्डिस्कॉम क्रय	-	-	-	(693.66)	(261.69)	
गैर-अनुसूचित विनिमय	-	-	-	830.05	252.98	3.05
कुल योग	26736	9632	3.60	26879.18	9521.80	3.54
प्रसारण प्रभार						
भाविग्रिनिलि		258			304.16	
राविप्रनिलि		768			824.94	
राभाप्रेके शुल्क		11			11.15	
उक्षेभाप्रेके PSEB		-			1.53	
उक्षेभाप्रेके Posco		-			0.99	
राज्यान्तरिक प्रसारण	-	1037	-	-	1142.77	-
जोडे पूर्व अवधि					91.89	
सकल विद्युत क्रय लागत	26736	10669	3.99	26879.18	10756.46	4.00

1.26 यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विव 2014-15 के दौरान विद्युत क्रय दर माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित 3.99 रु. प्रति इकाई के प्रति 4.00 रु./इकाई उपगत की गई है। विद्युत क्रय दर में ऐसा महत्वपूर्ण अन्तर अक्षय सीपीपी तथा राजविनि अधिक विद्युत क्रय दर है।

1.27 विव 2014-15 में उपभोक्ताओं द्वारा ओपन एक्सेस चुनने के कारण बिजली की भारी मात्रा का समर्पण किया गया। हालांकि यहां तक कि समर्पण की गई बिजली के लिए याचिकाकर्ता को बिना कोई बिजली लिए भी स्थाई शुल्क को वहन करना पड़ता है जोकि प्रति यूनिट बिजली की खरीद दर को बढ़ाता है।

1.28 यहां यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग 92 करोड़ रुपये पूर्ववर्ती खर्च के रूप में खर्च हुए जिसस समग्र बिजली खरीद लागत बढ़ गई। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से प्रार्थना करती है विव 2014-15 की ट्र्यू-अप में बिजली खरीद खर्च को अनुमोदित करते हुए मितव्ययी पक्ष रखे।

1.29 माननीय आयोग ने विव 2014-15 की एआरआर अनुमोदित करते समय यह माना कि

अतिरिक्त बिजली तापीय उत्पादन केन्द्रों की परिवर्तनीय लागत + कुछ मार्जिन से अधिक दर से बेची जानी चाहिए और तदनुसार अतिरिक्त बिजली की औसत विक्रय दर 4.00 प्रति यूनिट अनुमोदित की है। याचिकाकर्ता यह निवेदन करती है कि बिजली की विक्रय और खरीद एक गतिशील प्रक्रिया है। एक्सचेंज में बाजार समाशोधन कीमत खरीदार एवं अन्य विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों और संपूर्ण बाजार में बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता का इन घटकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विव 2014-15 में याचिकाकर्ता इस तरह की अतिरिक्त बिजली को केवल 3.02 प्रति यूनिट की दर बेचने में सफल रहा। उपरोक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता यह निवेदन करती है कि बिजली खरीद लागत को कम किया जावे/व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को अतिरिक्त बिजली के बेचान से उत्पन्न वास्तविक राजस्व की हद तक लिया जाना चाहिए।

- 1.30 अतीत में माननीय आयोग ने बैंकिंग को एक लागत तटस्थ व्यवस्था माना है और उसी के अनुसार बैंकिंग की लागत को अस्वीकार कर दिया। हालांकि बैंकिंग के लिए कई तरह की लागत शामिल होती है जैसे व्यापार मार्जिन इत्यादि। याचिकाकर्ता विव 2014-15 की सत्यापन याचिका में माननीय आयोग से उपरोक्त को अनुमोदित करने का निवेदन करती है।
- 1.31 इस प्रकार, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से याचिकाकर्ता द्वारा विव 2014-15 समग्र विद्युत क्रय लागत को अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

परिचालन एवं संधारण व्यय

- 1.32 परिचालन एवं संधारण व्यय में कर्मचारी लागत, प्रशासकीय व सामान्य व्यय तथा मरम्मत तथा संधारण व्यय शामिल हैं। राविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 24 के सन्दर्भ में प.एवं.सं. व्यय प्रासमिक आधार पर माने जायेंगे।
- 1.33 माननीय आयोग ने दिनांक 20.02.2015 के अपने टैरिफ आदेश में प्रासमिक आधार पर 1057 करोड़ रु. के प.एवं.सं.अनुमोदित किये थे। माननीय आयोग द्वारा प.एवं.सं. लरगत वर्ष के लिए ऊर्जा विक्रय पर आधारित व्युत्पन्न किये गये थे।
- 1.34 अंकेक्षित लेखों के अनुसार याचिकाकर्ता के प.एवं.सं. व्यय वर्ष 2014-15 के लिए 1381.16 करोड़ रु. है। सेवान्त लाभ में वृद्धि प.वस व्यय में वृद्धि के कारण हुई है।

- 1.35 सेवान्त लाभ व ग्रेच्युटी के प्रति कुल जिम्मेदारी 768.97 करोड़ रुपये हैं। जिसमें कि ऐक्चुरीयल वेलिवेशन की राशि भी सम्मिलित है।
- 1.36 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि सामान्य एवं प्रशासनिकीय खर्चों में वृद्धि सुरक्षा सेवा शुल्क, वाहन संचालन व स्पोर्ट बिलिंग इत्यादि के कारण है जो कि 83.28 करोड़ रुपये है।
- 1.37 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि मरम्मत एवं संधारण खर्च माननीय आयुक्त द्वारा अनुमोदित 169 करोड़ रुपये की तुलना में 100.10 करोड़ रुपये हुये है।
- 1.38 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से वर्ष 2014-15 के पवस व्यय अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।
- 1.39 याचिकाकर्ता के अंकेक्षित लेखों के अनुसार पवस व्यय निम्नानुसार है—

सारणी 6: विव 2014-15 के लिए कर्मचारी, म.एवंसं. तथा प्र.एवं.सा. लागत (करोड़ रु. में)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक	विचलन
कर्मचारी लागत	804	573.58	230.42
सेवान्त लाभ	418	799.76	-381.76
प्रशासकीय एवं सामान्य लागत (बीमा व्यय सहित)	85	124.34	-39.34
मरम्मत एवं संधारण लागत	169	100.10	68.90
घटायें – पूंजीकृत किये जाने वाले व्यय	203	216.62	-13.62
सकल प.एवं.सं.	1273	1381.16	-108.76

कर्मचारी व्यय

- 1.40 याचिकाकर्ता के कर्मचारी व्ययों में वेतन, मजदूरी, भत्ते, अनुग्रह भुगतान, स्टॉफ कल्याणकारी व्यय, सेवान्त लाभ, आदि निहित हैं।
- 1.41 चूंकि सेवान्त लाभ व ग्रेच्युटी के खर्च याचिकाकर्ता के नियन्त्रण में नहीं है इसलिए याचिकाकर्ता आयोग से इन खर्चों को पास थ्रू करने का निवेदन करता है।
- 1.42 अनुपयोगी अवकाश के खर्च का दायित्व, 31.03.2016 की लाभ योजना के अन्तर्गत परिभाषित की गई है।
- 1.43 उपरोक्त दोनों दायित्वों की परिणति अतिरिक्त व्यय के रूप में हुई है जो कि से पूर्ण

रूप से याचिकाकर्ता के नियन्त्रण से बाहर है।

1.44 कर्मचारियों के वार्षिक खर्चे अंकेक्षित लेखों के अनुसार निम्नानुसार है—

सारणी 7: कर्मचारी व्यय (करोड़ रु.)

क्र.स.	विशिष्टियां	2014-15
अ.	वेतन, मजदूरी, भत्ते व बोनस आदि	
1	वेतन	258.30
2	समयोपरि	1.31
3	महगाई भत्ता	245.22
4	महंगाई वेतन	0.07
5	अन्य भत्ते	34.64
6	अनुग्रह भुगतान तथा बोनस	5.0
7	मानदेय	0.00
8	अर्जित अवकाश नकदीकरण	15.29
9	प्रथम विपत्र जारी करने पर प्रोत्साहन	0.01
10	पुनर्विधुत सम्बन्ध पर प्रोत्साहन	0.09
11	अन्य प्रोत्साहन	0.02
12	वाहन व्यय	0.07
13	निक्षेप सहबद्ध बीमा - मण्डल अंशदान	1.18
14	कर्मचारी राज्य बीमा - प्रशासकीय प्रभार	0.27
15	निगम द्वारा समूह बीमा योजनान्तर्गत भुगतान	0.72
16	चिकित्सा व्यय पुनर्भरण P H	1.31
17	प्रशिक्षण व्यय	0.25
18	चिकित्सा व्यय G H	1.80
19	शिक्षण शुल्क पुनर्भुगतान	0.00
20	गणवेश व वर्दी व्यय	2.28
21	साबुन व डस्टर	0.25
22	सुरक्षा साधन	0.78

23	अन्य कल्याणकारी व्यय	0.41
24	वार्षिक वृत्ति लाभ	0.01
25	डीएलआई – प्रशासकीय प्रभार	0.23
26	मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम	0.56
27	कर्मचारी क्षतिपूर्ती अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान	3.51
28	समग्र कर्मचारी भुगतान	573.58
29	घटाये:-(कैपिटलायज्ड खर्च)	179.06
30	नेट कर्मचारी खर्च	394.52
ब.	सेवान्त लाभ	
1	सेवान्त लाभ (पीएफ को सम्मिलित करते हुए)	30.79
2	मण्डल अंशदान	613.96
3	सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश	53.69
4	ग्रेच्युएटी फंड	99.68
5	नई पेंशन के अन्तर्गत मण्डल अंशदान	0.00
	कुल योग:-	799.76
	सकल योग:-	1194.28

1.45 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से वास्तविक कर्मचारी व्यय 1194.28 करोड़ रूपयों को अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय-

1.46 वास्तविक सामान्य प्रशासनिक खर्चों और नोरमेटिव खर्चों की तुलना निम्नानुसार है-

सारणी 8: प्रशा. एवं सामा. व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
सकल प्रशा.एवं.सा. व्यय	63	86.23

1.47 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि सुरक्षा सेवा प्रभार, वाहन संचालन प्रभार, स्पॉट बिलिंग व्यय के कारण है जो कि 83.28 करोड़ रूपये है।

- 1.48 यह मानते हुये कि ये व्यय एक प्रतिष्ठान को चलाने के लिए उपगत किये जाते हैं, जिन्हें पूर्णतया विक्रय पर प्रासमिक व्ययों के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से सत्यापन याचिका में प्रशा. एवं सामा. व्यय की वास्तविक लागत को अनुमोदित करने का अनुरोध करती है।
- 1.49 विव 2014-15 में याचिकाकर्ता ने 86.23 करोड़ रु. (पूंजीकरण का निवल) का व्यय प्रशासकीय एवं सामान्य व्ययों के प्रति किया था, इसलिए माननीय आयोग से उसे अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

सारणी 9: प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय (करोड़ रु.)

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 2014-15
1	किराया	4.22
2	दर एवं कर	0.17
3	संयन्त्रों व मशीनों की अनुज्ञप्ति व पंजीकरण शुल्क	0.00
4	सुरक्षा सेवा प्रभार	15.96
5	टेलीफोन, टेलेक्स, इपीएबीएक्स व्यय	1.76
6	डाक व तार	0.59
7	विधिक प्रभार, तकनीकी शुल्क	1.55
8	अंकेक्षकों को भुगतान	0.04
9	सेवानिवृति के पश्चात् कर्मचारियों पर व्यय	2.01
10	लोस डायनेस्टिक स्टडी पर भुगतान	-
11	राजस्व अंकेक्षण का व्यय	-
12	कन्सलटेन्सी प्रभार	0.61
13	व्यायवासिक प्रभार	0.46
14	बिजली प्रतिनिधि पर व्यय	0
15	वाहन किराया	2.81
16	यात्रा भता	3.96
17	वाहन चालन व्यय	14.88
18	उपभोक्ता जागरूकता व्यय	10.32

19	प्रशासकीय व्यय	3.60
20	विविध खर्च	16.04
21	आई ई एक्स के माध्यम से विद्युत विक्रय पर व्यय	9.95
22	पीएक्सआईएल के माध्यम से विद्युत विक्रय पर व्यय	0.44
23	बिल कलेक्शन प्रभार	2.68
24	स्पोट बिलिंग पर व्यय	26.08
25	भाडा एवं सामग्री सम्बन्धित व्यय	5.66
26	कुल योग:-	124.79
27	घटाये:- केपिटलाज्ड खर्च	37.56
28	नेट सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च	86.23

बीमा खर्च

1.50 अनुमोदित एवं संशोधित बीमा खर्चों की तुलना नीचे दी गई है।

सारणी 10: विव 2014-15 के लिए बीमा खर्च (करोड़ रु.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
बीमा खर्च	19	0.55

मरम्मत एवं संधारण व्यय

1.51 वास्तविक मरम्मत एवं संधारण व्यय बनाम संशोधित प्रासमिक मरम्मत एवं संधारण व्ययों की तुलना नीचे दी गयी है -

सारणी 11: मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रु.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
सकल म.एवं.सं. व्यय	169	100.10

1.52 याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 में इसकी अवसंरचना के मरम्मत एवं संधारण के प्रति 100.10 करोड़ रु. का व्यय उपगत किया है। मुख्य व्यय जविविनिलि के संयन्त्र तथा मशीनरी, लाइन तथा केबिल नेटवर्क की मरम्मत के अन्तर्गत पुस्तबद्ध किया गया है।

सारणी 12: मरम्मत एवं संधारण व्यय (करोड़ रु.)

विशिष्टियां	विव 2014-15
संयन्त्र व मशीनरी	47.32
भवन	6.99
सिविल कार्य	0
लाइनें तथा केबिल नेटवर्क	44.92
वाहन	0.56
फर्नीचर व उपस्कर	0.03
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	0.29
योग	100.10

ब्याज तथा वित्त प्रभार

- 1.53 आयोग ने 879 करोड़ रु. विव 2014-15 के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभार के रूप में अनुज्ञात किया है। अनुमोदित की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा उपगत वास्तविक व्यय 2839.94 करोड़ रु. (पूंजीकरण का निवल) है।
- 1.54 डिस्कॉम द्वारा भिन्न - भिन्न प्रकार की उधारियों पर उपगत ब्याज तथा वित्त व्यय की तुलना में माननीय आयोग द्वारा अनुज्ञात की विस्तृतियां नीचे सारणी में दी गयी हैं -

सारणी 13: ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रु.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज दायित्व	1238	-
दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	561	1055.33
अल्पकालीन उधारियों/कार्यशील पूंजी पर ब्याज	137	1550.44
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	77	67.47
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	64	166.69
घटायें - पूंजीकृत ब्याज तथा वित्त	126	69.04
योग	1140	2770.90

*अल्प कालीन उधारियों एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज में सम्मिलित

**सीपीएफ ट्रस्ट की गारंटी और ब्याज सहित

- 1.55 जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, यूटिलिटी द्वारा विभिन्न प्रकार की उधारियों पर

- उपगत वास्तविक ब्याज लागत माननीय आयोग द्वारा अनुज्ञात की गयी से भिन्न है। इस सन्दर्भ में इस तथ्य को मानना होगा कि यूटिलिटी को दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों में विचारित से अत्यधिक उधार लेना पड़ता है।
- 1.56 अल्पकालीन ऋण, कार्यशील पूंजी की प्रासमिक आवश्यकता के आधार पर, राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार अनुज्ञात किये गये थे तथा इस आधार पर कार्यशील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज टैरिफ आदेश में अनुज्ञात किया गया था, परन्तु ये वास्तविक अल्पकालीन ऋण पोर्टफोलियो पर ब्याज से अत्यन्त कम हैं। यूटिलिटी को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा भारी राजस्व धाटे, जिसका पूर्णतः निधियन टैरिफ से राजस्व तथा सरकार से सहायिकी/संसहायिकी से नहीं हो रहा था, को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण लेन पड़ते हैं। याचिकाकर्ता इसे वास्तविक आधार पर अनुज्ञात करने का विनम्र निवेदन करता है।
- 1.57 उपरोक्त के अलावा ब्याज और वित्तीय लागत में बढ़ोतरी संचित ऋण और कार्यशील पूंजी पर ब्याज के साथ उत्पादकों को देर से भुगतान पर देय राशि के कारण है। व्यवस्था बनाए रखनें एवं आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता ने लोड में कटौती नहीं की है। पर्याप्त बिजली खरीदने के लिए निरंतर धन की पूर्ति के लिए अल्प अवधि ऋण की वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता के कुल ऋण का 80 प्रतिशत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अल्प वृद्धि ऋण के माध्यम से उठाया है। जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा अधिक ब्याज पर भुगतान किया गया। कुल लागत में ब्याज लागत का अनुपात देशभर की युटिलिटी की तुलना में याचिकाकर्ता के मामले में बहुत अधिक हो गया है। उपरोक्त के अनुसार याचिकाकर्ता माननीय आयोग से विव 2014-15 की सत्यापन याचिका में ब्याज तथा वित प्रभार की वास्तविक लागत को अनुमोदित करने का अनुरोध करती है।
- 1.58 ब्याज व वित्तीय प्रभार का एक बड़ा हिस्सा उत्पादन सयंत्रों को भुगतान किये गये राशि पर दिया गया विलम्ब भुगतान प्रभार के कारण है। याचिकाकर्ता इस पर वास्तविक आधार पर विचार करने की प्रार्थना करता है।
- 1.59 वास्तविक दीर्घकालीन ऋण पोर्टफोलियो भी आयोग द्वारा इसके परिकलन में माने गये औसत दीर्घकालीन ऋण से उच्चतर है। इस वर्ष के लिए वास्तविक औसत बकाया

दीर्घकालीन ऋण माननीय आयोग द्वारा माने गये 4892 करोड़ रु. के स्थान पर 9111.72 करोड़ रु. था। इसका परिणाम दीर्घकालीन ऋण पर ऊपर दर्शाये गये अनुसार ब्याज में वृद्धि होना है।

- 1.60 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जयपुर डिस्कॉम माननीय आयोग से वास्तविक ब्याज एव वित्तिय प्रभार 2770.90 करोड़ रुपये को अनुमोदित करने का निवेदन करता है।

ह्रास

- 1.61 आयोग ने विव 2014-15 के लिए 616.86 करोड़ रु. के वास्तविक ह्रास के प्रति विव 2014-15 के लिए 340 करोड़ रु. ह्रास के रूप में अनुज्ञात किया था। नीचे सारणी प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पतियों, अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पतियों तथा ह्रास की अनुमोदित तथा अंकेक्षित राशियों का तुलनात्मक सारांश दर्शाती है –

सारणी 14: विव 2014-15 के लिए ह्रास (करोड़ रु.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
प्रारम्भिक सकल स्थाई परिसम्पतियां	9052	11854.80
अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पतियां	10016	13195.63
ह्रास	340	616.86

- 1.62 वर्ष 2007-08 से ह्रास की गणना फॉर्म ऑफ रेगुलेटर की अधिसूचना दिनांक 23.6.2006 के अनुसार की गई है जो कि ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 6.1.2006 की टेरिफ पॉलिसी की पालना में जारी की गई है। तदनानुसार ह्रास को लेखों में अधिसूचना के अनुसार प्रभारित किया गया है।

- 1.63 पिछले अभ्यास के अनुसार विव 2006-07 तक मूल्य ह्रास वर्ष के शुरुआत में अस्तित्व में संपत्ति पर वार्षिक आधार पर लगाया गया है। विव 2007-08 याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष के प्रारंभ में अस्तित्व में रही परिसम्पतियों पर ह्रास वार्षिक आधार + वर्ष के दौरान परिवर्धित/कम की गई परिसंपत्तियों के लिए ह्रास का प्रावधान मानते हुए किया गया है कि यह त्रिमास की संपत्ति के तुरंत पहले उपयोग में लाई गई थी। (ह्रास का लेखा उपचार)। असल में विव 2014-15 से मूल्य ह्रास का प्रावधान आरईआरसी टैरिफ अधिनियम 2014 के अनुसार अपनाया गया है और संपत्ति के जीवन का पुनः गणना

31.03.2014 तक की गई है।

1.64 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इस ट्र्यू-अप में विव 2014-15 के लिए 616.86 करोड़ रूपयो ह्रास (अंकेक्षित लेखो के अनुसार) के अनुरूप में अनुज्ञात करने का निवेदन करता है।

अन्य डेबिट, उपभोक्ताओं को दी गई छूट तथा पूर्वावधि

1.65 विव 2014-15 के वास्तविक अंकेक्षित लेखों के आधार पर डिस्कॉम, माननीय आयोग से विव 2014-15 में अन्य डेबिट के लिए 119.38 करोड़ रु. अनुज्ञात करने का निवेदन करती है। यह निवेदन है कि "अन्य डेबिटों" के मद के अंतर्गत इस के साथ ही अन्य मदों की प्रकृति यूटिलिटी के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

1.66 याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि उपभोक्ताओं को दी गई छूट नये उधोग, विशिष्ट वोल्टेज और डीपीएस को माफ करने के कारण है।

1.67 उपरोक्त के अतिरिक्त, डिस्कॉम, माननीय आयोग से वास्तविक अंकेक्षित लेखों पर आधार पर विव 2014-15 के लिए 44.20 करोड़ रु. के पूर्वावधि व्यय को वाराआ के भाग के रूप में अनुज्ञात करने का भी निवेदन करता है।

सारणी 15: विव 2014-15 के दौरान अन्य डेबिट तथा पूर्वावधि व्यय (करोड़ रु.)

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 2014-15
अ अन्य डेबिट		
1	कर्मचारियों की चोट या मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति	0.21
2	बाहरी व्यक्ति की चोट या मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति	4.37
3	बेकार पड़े स्टोर के कारण हानि	0.00
4	इन्वेन्टरी के मूल्यांकन के कारण हानि	2.97
5	परिवर्तन दर में बदलाव के कारण हानि	0.00
6	रद्दी माल की बिक्री के कारण हानि	0.11
7	अचल संपत्तियों की चोरी की वजह से नुकसान	17.20
8	अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	0.50

9	डूबत तथा संदिग्ध कर्ज प्रावधान	23.72
	योग	49.08
ब उपभोक्ताओं को दी गई छूट		
1	उपभोक्ताओं को दी गई छूट नये उद्योग	14.71
2	वोल्टेज, ब्लॉक स्प्लाइ फ्लेट रेट, खराब मीटर, तुरन्त भुगतान	51.90
3	पीएसएल को टाईमर उपलब्ध करवाने पर दी गई छूट	3.66
4	डीपीएस/एलपीएस की छूट	0.03
5	योग-	70.30
स	पूर्व अवधि व्यय	
1	पूर्व अवधि व्यय	44.20
	सकल योग	163.58

विव 2014-15 के लिए साराआ का सारांश

1.68 नीचे सारणी दिनांक 20.02.2015 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित वाराआ की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में उपगत वाराआ का सारांश दर्शाती है:-

सारणी 16: विव 2014-15 के लिए वाराआ (करोड़ रु.)

व्यय	अनुमोदित	वास्तविक
विद्युत क्रय लागत	10617	10756.46
परिचालन एवं संधारण व्यय (बीमा खर्चे सहित)	802	581.41
सेवांत लाभ	418	799.76
ब्याज तथा वित्त प्रभार (केयरिंग कॉस्ट सहित)	1814	1220.46
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	137	1550.44
ह्रास	340	616.86
अन्य व्यय (पूर्व अवधि खर्चे सहित)	0	163.58
कुल खर्चा	14128	15688.96

गैर- टैरिफ आय

1.69 गैर टैरिफ आय उपभोक्तों के अतिरिक्त अन्य से प्राप्त की गई आय है। जैसे की डी. पी.एस. , स्थाई जमा, बेकार माल की बिक्री और स्थाई सम्पत्तियों से आय। अन्य आय में

मीटर किराया , विविध प्रभार और आर.वी.पी.एन. व आर.वी.यु.एन. के ट्र्यू-अप आदेशों के अन्तर्गत पुनः प्राप्ति ।

1.70 याचिकाकर्ता ने विव 2014-15 के दौरान गैर टैरिफ आय 407.65 करोड़ रु. प्राप्त किये हैं। अन्य आय 340.43 करोड़ रूप्यें है। मानयीय आयोग से गैर टैरिफ आय में अन्य आय को अनुमोदित करने का निवेदन है। विस्तृतियां निम्नानुसार हैं -

सारणी 17: गैर टैरिफ आय (करोड़ रु.)

गैर टैरिफ आय	अनुमोदित	वास्तविक
स्थायी संपत्ति के बेचान से आय	525	7.93
स्टॉफ को ऋण व अग्रिमों पर ब्याज		0.02
आपूर्तिकारों से ब्याज		0.42
बैंक में स्थायी जमा से आय		0.20
स्थायी जमा आय		0.05
स्टॉफ क्वार्टरों से किराया		0.10
पंजीकरण शुल्क		0.32
टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय		0.15
रद्दीमाल का विक्रय		14.10
जांच शुल्क से आय		1.68
अन्य विविध प्राप्तियों		43.03
सरकार से स्थगित अनुदान द्वारा प्राप्त आय		122.51
भुगतानों पर छूट		10.68
विलम्ब से भुगतान प्रभार		206.45
योग		407.65
अन्य आय		
विद्युत चोरी से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत		27.85
मीटर किराया / सर्विस लाईन किराया (सी.टी.पी.टी. किराया)		11.63

उपभोक्तओ से प्राप्त विविध राशि		32.56
विद्युत प्रसारण कंपनी से प्राप्त ट्र्यू-अप जमा		171.22
विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त ट्र्यू-अप जमा		97.18
योग		340.43
सकल योग	525	748.08

राजस्व

राजस्व का सारांश

1.71 माननीय आयोग ने वर्ष 2014-15 के लिए टैरिफ आदेश से 11308 करोड़ रुपये (व्हीलिंग प्रभार व अधिक उर्जा की बिक्री से प्राप्त आय सहित) अनुमोदित किये हैं। अर्केक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक राजस्व 10260.61 करोड़ रुपये है।

1.72 जैसा की पिछले अनुभागों में उल्लेखित किया गया हैं कि माननीय आयोग ने 2014-15 ए.आर.आर. अनुमोदित करते समय ट्रेडिंग से अधिक राजस्व को विचारार्थ रखा हैं और तदानुसार विद्युत की खरीद को कम किया है। लेकिन बाजार में विद्युत दरें क्रेता द्वारा प्रस्तुत बिड और समपुर्ण बाजार उपलब्ध उर्जा पर निर्भर करती हैं। इसलिए याचिका कर्ता ट्रेडिंग से प्राप्त वास्तविक राजस्व पर ही विचार करने का निवेदन करता हैं।

1.73 अनुमोदित और वास्तविक राजस्व का सारांश नीचे सारणी में दिया गया हैं

सारणी 18: विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व (करोड़ रु.)

राजस्व	अनुमोदित	वास्तविक
विद्युत का विक्रय	11308	9423
अन्य टैरिफ आय / गैर- टैरिफ आय	525	748.08
ट्रेडिंग गतिविधि से आय	52	55.20
व्हीलिंग प्रभारों से आय	13	34.32
कुल राजस्व	11898	10260.61

विव 2014-15 के लिए राजस्व घाटा

1.74 विव 2014-15 के लिए वास्तविक वाराआ तथा राजस्व प्रापण पर आधारित, वास्तविक

राजस्व अन्तर, आयोग द्वारा अनुमोदित 1157 करोड़ रु. के प्रति 4734.57 करोड़ रु. है। अनुमोदित तथा वास्तविक राजस्व धाटा नीचे सारणी में सारांशित है :-

सारणी 19: विव 2014-15 के लिए अनुमोदित तथा संशोधित वास्तविक राजस्व धाटा
(करोड़ रु.)

विशिष्टियां	अनुमोदित	वास्तविक
समग्र राजस्व आवश्यकता (अ)	14180	15688.96
कुल राजस्व (गैर टैरिफ आय, एक्चेज के द्वारा विक्रय व अन्य आय) (ब)	11898	10260.61
राजस्व अन्तर (स)	2282	5428.35
राजस्व सहायिकी/वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		
विश्व बैंक से ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी	4	4.35
विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से संसहायिकी	480	500.55
सरकार से नकद सहायता	169	176.40
ब्याज के लिए सहायिकी	472	-
स्टाम्प शुल्क के प्रति सहायिकी	-	5.92
प्रशमन प्रभार के प्रति सहायिकी	-	6.57
योग (द)	1125	693.79
निवल राजस्व गेप (स-द)	1156	4734.57

1.75 जैसा कि उपरोक्त से सिद्ध होता है, विव 2014-15 में राजस्व आवश्यकता में वास्तविक अन्तर, आयोग द्वारा विव 2014-15 के लिए, इसके वाराआ आदेश में अनुज्ञात 1156 करोड़ रु. से भारी उच्चतर 4734.57 करोड़ रु. है। वास्तविक उच्चतर राजस्व अन्तर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा राविप्रनि को संदत्त प्रसारण प्रभारों सहित विद्युत क्रय लागत, कर्मचारी लागत ब्याज तथा वित्त लागत, को आरोपित की जा सकती है।

1.76 यह प्रार्थना है कि आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का विनिर्धारण करते समय आयोग विव 2014-15 के वास्तविक राजस्व अन्तर पर विचार करे।

विव 2014-15 के लिए विचलन विश्लेषण

1.77 नीचे दी गई सारणी, आय तथा व्यय के प्रत्येक तत्व के बारे में विचलन विश्लेषण दर्शाती है –

सारणी 20: विचलन विश्लेषण (करोड़ रु.)

क्र. स.	विशिष्टिया	अनुमोदित (अ)	वास्तविक (अ)	विचलन (स=अ- ब)	विचलन के कारण	नियंत्रणीय/ अनियंत्रणीय
	1. राजस्व					
	विद्युत का विक्रय	11308	9423	1885	माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित औसत बिलिंग दर वास्तविक से अधिक है।	अनियंत्रणीय
	व्हीलिंग व क्रास सबसिडी प्रभार	13	34.32	(21.32)	वास्तविक के अनुसार	अनियंत्रणीय
	गैर- टैरिफ आय / अन्य टैरिफ आय	525	748.08	(223.08)	वास्तविक के अनुसार। अन्य टैरिफ आय, उपभोक्ता से प्राप्तियाँ , मीटर किराया और आर.वी.पी.एन, आर.वी. यु.एन के टुअप के आदेशों के अन्तर्गत प्राप्त राशि भी सम्मिलित ।	अनियंत्रणीय
	ट्रेडिंग से आय	52	55.20	(3.20)	अधिक्य उर्जा को आई.ई.एक्स. की द्वारा बिक्री का वास्तविक की तुलना में अधिक अनुमान	अनियंत्रणीय
	कुल राजस्व (अ)	11898	10260.61	1637.39		
	2. व्यय					
	विद्युत क्रय	10669	10756.46	(87.46)	लुघ अवधि के लिए एक्चेज के उर्जा क्रय	अनियंत्रणीय

					में वृद्धि। आर.वी.यु. एन, एन.पी.सी.आई. एल., एन.सी.ई.एस आदि की उर्जा क्रय का अधिक मुल्य ।	
	परिचालन एवं संधारण व्यय बीमा खर्चें शामिल करते हुए	1222	1381.16	(159.16)	सेवान्त लाभों के लेखाकन के कारण। सामान्य एवम् प्राशसकिय खर्चे उर्जा विक्रय के आधार पर न्यायाचित नही ठहरये जा सकते।	अनियंत्रणीय
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	1951	2770.90	(819.90)	अनुमान से अधिक पुजी निवेश के कारण इस पर ब्याज का खर्चा ।	अनियंत्रणीय
	ह्रास	340	616.86	(276.86)	अन्तर, माननीय आयोग द्वारा सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेषों में विचलन के कारण है।	अनियंत्रणीय
	अन्य व्यय	0	163.58	(163.58)	वार्षिक अंकेक्षित लेखों के अनुसार, जिसे टैरिफ आदेश में ध्यान में नहीं रखा गया।	अनियंत्रणीय
	समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ) (ब)	14180	15688.96	(1508.96)		
	अन्तर/(अधिशेष) (ब-अ) = स	2282	5428.35	(3146.35)		
	घटायें - राजस्व सहायिकी					

विश्व बैंक ऋणों पर ब्याज अन्तर की राज्य सरकार से सहायिकी	4	4.35	(0.35)	अंकक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	प्रयोज्य नहीं
विद्युत शुल्क के प्रति संसहायिकी	480	500.55	(20.55)	अंकक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	प्रयोज्य नहीं
राज्य सरकार से नकद सहायता	169	176.40	(7.40)	अंकक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	
ब्याज के लिए सहायिकी	472	-	472	अंकक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	
स्टाम्प शुल्क के प्रति सहायिकी		5.92		अंकक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	
प्रशमन प्रभार के प्रति सहायिकी		6.57	(6.57)	अंकक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	
कुल राजस्व सहायिकी – द	1125	693.79	431.21	अंकक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार	प्रयोज्य नहीं
निवल राजस्व अन्तर (स-द)	1156	4734.57	(3578.34)		

1.78 उपरोक्त के आधार पर याचिकाकर्ता आयोग से, याचिकाकर्ता के वास्तविक निष्पादन पर, विव 2014-15 के व्यय तथा राजस्व के ट्र्यूअप तथा वर्ष के लिए 4734.57 करोड़ रु. के राजस्व अन्तर को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

अ 2: प्रार्थना

2.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. आयोग से निवेदन करता है कि –

- उपरोक्त के आधार पर याचिकाकर्ता आयोग से, याचिकाकर्ता के वास्तविक निष्पादन पर विव 2014-15 के व्यय तथा राजस्व के ट्र्यूअप तथा वर्ष के लिए 4734.57 करोड़ रु. के राजस्व अन्तर के अनुमोदन की, सादर प्रार्थना करता है।
- वर्तमान प्रक्षेप वृक्र को संशोधित करावें और इसे उदय योजना के समान निर्धारित करें।
- तथा ऐसे अन्य व अग्रेतर आदेश, जो प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित व उपयुक्त लगे, पारित करे।